(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 50 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक : 17 दिसम्बर, 2015

विषय : सार्वजनिक सूचना सं० 30 (आरई–2012)/2009–2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को रद्द करना।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं० 30 (आरई–2012)/2009–2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को रद्द करते हैं जिसके तहत इंडो–म्यांमार सीमा व्यापार के लिए 62 व्यापार योग्य मदों की सूची अधिसूचित की गई थी। सार्वजनिक सूचना सं० 30 (आरई–2012)/2009–2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के साथ सार्वजनिक सूचना सं० 289/92–97 दिनांक 10 अप्रैल, 1995 और सार्वजनिक सूचना सं० 106 (आरई–2008)/2004–2009 दिनांक 07 नवम्बर, 2008 को भी रद्द किया जाता है।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव :

मोरेह (मणिपुर) में इंडो–म्यांमार सीमा पर सामान्य व्यापार हो जाने पर, इंडो–म्यांमार सीमा व्यापार से संबंधित सभी सार्वजनिक सूचनाओं को रद्द किया जाता है।

अनूप वधावन

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: dgft@nic.in

[फा० सं० 01/89/180/विविध 49/एएम–04/पीसी–2 (बी) से जारी]